संख्याः /I/2006-03(8)/18/06

प्रेषक,

एन0 रवि शंकर,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग, देहरादूनः दिनांकः 18 सितम्बर, 2006

विषयः- ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु उरेडा द्वारा निर्मित की जाने वाली ग्रामीण सहभागिता पर आधारित लघु जल विद्युत परियोजना बाछम, क्षमता 500 कि0वा0 एवं गोगीना-2, क्षमता 50 कि0वा0 विकास खण्ड कपकोट, जनपद बागेश्वर का विकेन्द्रीकृत एवं ग्रिड फीडिंग हेतु गैडीछीडा लघु जल विद्युत परियोजना क्षमता 250 कि0वा0 जनपद पौड़ी गढ़वाल का उरेडा द्वारा निर्माण किये जाने हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 686/उरेडा/4(1)-135/ग्रा0स/05-06, दिनांक 10.05.2006 एवं पत्रांक 2131/उरेडा/4(1)-135/ग्रा0स/06, दिनांक 4.08.2006 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उरेडा द्वारा निर्मित की जाने वाली ग्रामीण सहभागिता पर आधारित निम्नलिखित लघु जल विद्युत परियोजनाओं का ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार प्राप्त आंगणनों की कुल धनराशि रु0 573.14 लाख की लागत के आगणन के विरुद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु0 531.22 लाख (रु0 पाँच करोड़ इकतीस लाख बाइस हजार मात्र) की लागत के आंगणन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रु0 में)

क0 सं0	जनपद	विकासखण्ड	परियोजना का नाम	क्षमता (कि0वा0)	उरेडा द्वारा प्रस्तुत परियोजना की लागत	टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षोपरान्त संस्तुत लागत
1	2	3	4	5	6	7
1	बागेश्वर	कपकोट	गोगीना-2	50	76.51	68.66
2	बागेश्वर	कपकोट	बाछम	500	496.63	462.56
कुल योगः-					573.14	531.22

18/9/06

...2

1- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

2- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृति हेतु मानक हों, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगंणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेक-अप किया जाय।

5- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरें/विशिष्टियों के अनुरुप ही निर्माण कार्यों को सम्पादित किया जाय।

6- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करलें एवं निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप ही कार्य किया जाय।

7- आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

9- जी.पी.डब्लू. फार्म-9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2810 के सुसंगत मदों से यथासमय आवंटित धनराशि एवं भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश से वहन किया जायेगा। जो धनराशि जन सहभागिता के सक्षम लाभार्थी अंश से प्राप्त की जानी है, उसे यथासमय प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

N. Ravi Shankar

(एन0 रवि शंकर)
प्रमुख सचिव

...3

संख्या 1343/I/2006-03(8)/18/05, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, ओबरॉय बिल्डिंग, मजरा, देहरादून।
2– मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3– मुख्य अभियन्ता, टी0ए0सी0 (वित्त), उत्तरांचल शासन।
4– वित्त अनुभाग–2,
5– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव